न्यायालय सहायक कलक्टर, सरदारशहर

बइजलास डॉ. दिव्या आर.ए.एस.

अनुवान ओमप्रकाश आदि बनाम कालीचरण आदि

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादपत्र सं. 75/2023

निर्णय दिनांक 18/12/24

1. ओमप्रकाश पुत्र बेगाराम जाति ब्राह्मण निवासी पूलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
2. नन्दलाल पुत्र बेगाराम जाति ब्राह्मण निवासी पूलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
3. दुलीचन्द पुत्र बेगाराम जाति ब्राह्मण निवासी पूलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
4. तुलछीदेवी पत्नी बेगाराम जाति ब्राह्मण निवासी पूलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
5. विमला पुत्री बेगाराम पत्नी सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी गोगासर तहसील रतनगढ जिला चूरू

— वादीगण—

बनाम

1. कालीचरण पुत्र बजरंगलाल जाति ब्राह्मण निवासी पूलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
1. रेवन्तराम पुत्र बजरंगलाल जाति ब्राह्मण निवासी पूलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
2. भंवरी पत्नी बजरंगलाल जाति ब्राह्मण निवासी पूलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
3. सरोज पुत्री बजरंगलाल पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी रातूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
4. प्रहलाद पुत्र रामेश्वर पारीक जाति ब्राह्मण निवासी पूलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
5. महावीरप्रसाद पुत्र हरीबक्स पारीक जाति ब्राह्मण निवासी पूलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
6. सिलोचना पुत्री औंकारमल पत्नी डूंगरमल जाति ब्राह्मण निवासी गोगासर तहसील रतनगढ जिला चूरू
7. शारदा पुत्री औंकारमल पत्नी रामानन्द पारीक जाति ब्राह्मण निवासी कोहिणा तहसील तारानगर जिला चूरू
8. संतोष पुत्री औंकारमल पत्नी नारायण पारीक जाति ब्राह्मण निवासी गोगासर तहसील रतनगढ जिला चूरू
9. द्वारका पुत्री औंकारमल पत्नी उमाशंकर पारीक जाति ब्राह्मण निवासी गोगासर तहसील रतनगढ जिला चूरू
10. सुनिता पुत्री औंकारमल पत्नी श्रवणकुमार पारीक जाति ब्राह्मण निवासी छापर तहसील सुजानगढ जिला चूरू
11. रामप्यारी पत्नी औंकारमल जाति ब्राह्मण निवासी पूलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
12. देवीदत पुत्र औकारमल जाति ब्राह्मण निवासी पूलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
13. जगदीश पुत्र रेवन्तराम जाति ब्राह्मण निवासी पूलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
14. सांवरमल पुत्र रेवन्तराम जाति ब्राह्मण निवासी पूलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
15. चम्पा पुत्री रेवन्तराम पत्नी परसाराम पारीक निवासी सोनपालसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
16. सावत्री पुत्री रेवन्तराम पत्नी रूपचन्द पारीक निवासी राणासर बीकान तहसील सरदारशहर जिला चूरू
17. द्रोपती पुत्री रेवन्तराम पत्नी मदनलाल पारीक निवासी राणासर बीकान तहसील सरदारशहर जिला चूरू
18. अनन्त कुमार पुत्र हनुमान जाति ब्राह्मण निवा[illegible] तहसील सरदारशहर जिला चूरू
19. कन्हैयालाल पुत्र हनुमान जाति ब्राह्मण निवा[illegible]लास[illegible]सील सरदारशहर जिला चूरू
20. परमेश्वरी पत्नी ब्रह्मानन्द पारीक जाति ब्राह्मण निवा[illegible]सर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
21. ब्रह्मानन्द पारीक पुत्र फूसाराम जाति ब्राह्मण निवा[illegible]लासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
22. भोजराज पुत्र सोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी पूलासर तहसील सरदारशहर जि[illegible]
23. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सरदारशहर [illegible] चूरू राजस्थान

— प्रतिवादीगण —

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:42:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थिति –

1. श्री महावीर प्रसाद नेहरा वास्ते वादी
2. श्री मदनलाल भाम्भू एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 ता 23
3. पैरोकार राज वास्ते प्रतिवादी सं0 24

निर्णय

वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 23 सभी एक ही परिवार के लोग हैं और सभी मूलतः ग्राम पूलासर तहसील सरदारशहर के लोग हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 23 के परिवार की कृषि भूमियां ग्राम पूलासर, आसुसर व चाड़सर की रोही में स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का परिवार काफी बड़ा है। इस कारण सभी कृषि भूमियां एक साथ रहकर काश्त करना सम्भव नहीं होने पर अलग–अलग ग्राम पूलासर, आसुसर व चाड़सर की कृषि भूमियों का पारिवारिक मौखिक विभाजन कर लिया और अलग–अलग कृषि भूमियों का विभाजन कर आपस में बंटवारा कर लिया इस प्रकार प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 के हिस्से में रोही पुलासर व चाड़सर में आने वाली कृषि भूमियां रखी गई और ग्राम आसुसर की कृषि भूमि खसरा नम्बर 17 तादादी 07.4600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 18 तादादी 5.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 72 तादादी 4.2000 हैक्टेयर कुल खसरा 3 कुल तादादी 16.7100 हैक्टेयर रोही आसुसर की कृषि भूमि प्रतिवादीगण सं0 1 के 6 के हिस्से में आने वाली कृषि भूमि वादीगण के पिता व पति के हिस्से में पारिवारिक विभाजन के अनुसार रखी गई थी। कृषि भूमि खसरा नम्बर 17 तादादी 07.4600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 18 तादादी 5.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 72 तादादी 4.2000 हैक्टेयर कुल खसरा 3 कुल तादादी 16.7100 हैक्टेयर रोही आसुसर के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में अनन्त कुमार, औकारमल, कन्हैयालाल, परमेश्वरी, प्रहलाद, बेगाराम, बजरंगलाल, ब्रह्मानन्द, भोजराज, महावीरप्रसाद, रेवन्तराम के नाम दर्ज है। जिनमें से औंकारमल, बेगाराम, बजरंगलाल, रेवन्तराम फौत हो चुके है जिनमें से बेगाराम के वारिसान वादीगण हैं तथा बजरंगलाल, रेवन्तराम व औंकारमल के जायज वारिसान को प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार वाद बनाया गया है। पारिवारिक बंटवारा के अनुसार कृषि भूमि खसरा नम्बर 17 तादादी 07.4600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 18 तादादी 5.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 72 तादादी 4.2000 हैक्टेयर कुल खसरा 3 कुल तादादी 16.7100 हैक्टेयर रोही आसुसर तहसील सरदारशहर की कृषि भूमि में से प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 के पिता व पति स्व0 बजरंगलाल के हिस्से की 1/18 हिस्सा कृषि भूमि व प्रतिवादी सं0 5 के हिस्से की 1/18 हिस्सा भूमि तथा प्रतिवादी सं0 6 के हिस्से की 1/18 हिस्सा कृषि भूमि वादीगण के हिस्से पांति में रखी गई है। वादगत कृषि भूमि पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है तथा वादीगण वादगत कृषि भूमि के काबिज काश्तकार व खातेदार अपने हिस्से में आई हुई कुल 1/5 हिस्सा कृषि भूमि के है और न्यायालय हाजा से इस आशय की घोषणा करवाने के वादीगण अधिकारी हैं। वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 17 तादादी 07.4600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 18 तादादी 5.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 72 तादादी 4.2000 हैक्टेयर कुल खसरा 3 कुल तादादी 16.7100 हैक्टेयर रोही आसुसर वादीगण की कब्जा काश्त की कृषि भूमि है। जिसमें वादीगण का पारिवारिक बंटवारा के अनुसार 1/5 हिस्सा बनता है। जिसके खातेदारी अधिकारों की घोषणा वादीगण न्यायालय हाजा से कराना चाहते हैं तथा वादगत कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जाकर वादीगण के नाम से खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु दावा पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:42:16 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण के पिता व पति बेगाराम का स्वर्गवास हो चुका है। वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 17 तादादी 07.4600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 18 तादादी 5.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 72 तादादी 4.2000 हैक्टेयर कुल खसरा 3 कुल तादादी 16.7100 हैक्टेयर रोही आसुसर वादीगण के पति व पिता स्व0 बेगाराम के हिस्से में पारिवारिक बंटवारा में हिस्से में आई हुई थी तथा वादगत कृषि भूमि को पहले

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner

स्व0 बेगाराम काश्त करते थे तथा उनके स्वर्गवास के बाद से लगातार वादीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसलिए वादीगण वादगत कृषि भूमि के काबिज काश्तकार व खातेदार है। वादीगण अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा न्यायालय हाजा से करवाने के कानूनी रूप से अधिकारी है तथा वादगत कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाकर वादीगण अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। जिसके लिए यह दावा पेश किया गया है।

वादीगण ने वाद पेश कर निवेदन किया कि घोषित किया जावे कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 17 तादादी 07.4600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 18 तादादी 5.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 72 तादादी 4.2000 हैक्टेयर कुल खसरा 3 कुल तादादी 16.7100 हैक्टेयर रोही आसुसर तहसील सरदारशहर वादीगण के पिता स्व0 बेगाराम के 1/5 हिस्से की कृषि भूमि है तथा इस आधार पर वादीगण स्व0 बेगाराम के वारिसान होने से वादीगण वादगत कृषि भूमि के काबिज काश्तकार व खातेदार है तथा वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 17 तादादी 07.4600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 18 तादादी 5.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 72 तादादी 4.2000 हैक्टेयर कुल खसरा 3 कुल तादादी 16.7100 हैक्टेयर रोही आसुसर के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी सं0 1, 2 व 4 के पिता तथा प्रतिवादी सं. 3 के पति बजरंगलाल तथा प्रतिवादी सं0 5 व 6 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जाकर वादीगण के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सशुल्क तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 23 की ओर से श्री मदनलाल भाम्भू ने वकालतनामा व इकबाल जबाब दावा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण ने वादीगण के दावा को स्वीकार करते हुए दावा डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं0 24 पैरोकार राज को बार–बार अवसर देने के बावजूद जवाब नहीं देने पर जवाब बन्द किया गया। वादीनी के दावा का कोई खण्डन नहीं होने पर तनकी विरचित नहीं की गई। वादीनी ने साक्ष्य पेश नहीं कर बहस की इस्तदुआ चाही।

बहस पक्षकारान वाद सुनी गई। वकील वादीगण ने दौराने बहस दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए न्यायालय का ध्यान दावा के साथ प्रस्तुत किये गये राजस्व अभिलेख की ओर दिलाया गया और कथन किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 17 तादादी 07.4600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 18 तादादी 5.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 72 तादादी 4.2000 हैक्टेयर कुल खसरा 3 कुल तादादी 16.7100 हैक्टेयर रोही आसुसर तहसील सरदारशहर वादीगण के पिता स्व0 बेगाराम के 1/5 हिस्से की कृषि भूमि है तथा इस आधार पर वादीगण स्व0 बेगाराम के वारिसान होने से वादीगण वादगत कृषि भूमि के काबिज काश्तकार व खातेदार है तथा वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 17 तादादी 07.4600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 18 तादादी 5.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 72 तादादी 4.2000 हैक्टेयर कुल खसरा 3 कुल तादादी 16.7100 हैक्टेयर रोही आसुसर के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी सं0 1, 2 व 4 के पिता तथा प्रतिवादी सं. 3 के पति बजरंगलाल तथा प्रतिवादी सं0 5 व 6 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जाकर वादीगण के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाने का निवेदन किया। अधि[illegible] प्रति[illegible]गण ने वाद का समर्थन करते हुए दावा डिक्री करने में अनापति हो[illegible] जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:42:16 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादीगण, प्रतिवादी सं0 1 ता 23 के [illegible] का ध्यानपूर्वक मनन किया गया और पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया, वादगत कृषि भूमि का राजस्व अभिलेख, जमाबन्दी व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य प्रमाणित है कि वादीगण वादगत

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner

भूमि के खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। वादीगण अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने एवं रिकार्ड दुरूस्त करवाने के अधिकारी है।

आदेश

वाद वादीगण पुष्ट एवं प्रमाणित पाया गया है फलस्वरूप डिक्री किया जाकर प्रतिवादी सं0 24 तहसीलदार सरदारशहर को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 17 तादादी 07.4600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 18 तादादी 5.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 72 तादादी 4.2000 हैक्टेयर रोही आसुसर तहसील सरदारशहर में वादीगण के पिता स्व. बेगाराम के 1/5 हिस्से की कृषि भूमि है इसी आधार पर वादीगण स्व. बेगाराम के वारिसान होने से वादीगण वादगत कृषि भूमि के काबिज काश्तकार एवं खातेदार हैं तथा वादगत कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी सं. 1, 2 व 4 के पिता तथा प्रतिवादी सं. 3 के पति बजरंगलाल तथा प्रतिवादी सं0 5 व 6 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर वादीगण के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(डॉ. दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
सरदारशहर(चूरू)

निर्णय आज दिनांक 18/12/24 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
सरदारशहर(चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:42:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री ब मुकद्दमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम सरदारशहर व बइजलास डॉ. दिव्या(आर.ए.एस.)

अनुवान ओमप्रकाश आदि बनाम कालीचरण आदि

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादपत्र सं. 75/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री महावीर प्रसाद नेहरा एडवोकेट मिनजानिब मुदई व श्री मदनलाल भाम्भू, पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, वाद वादीगण पुष्ट एवं प्रमाणित पाया गया है फलस्वरूप डिक्री किया जाकर प्रतिवादी सं0 24 तहसीलदार सरदारशहर को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 17 तादादी 07.4600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 18 तादादी 5.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 72 तादादी 4.2000 हैक्टेयर रोही आसुसर तहसील सरदारशहर में वादीगण के पिता स्व. बेगाराम के 1/5 हिस्से की कृषि भूमि है इसी आधार पर वादीगण स्व. बेगाराम के वारिसान होने से वादीगण वादगत कृषि भूमि के काबिज काश्तकार एवं खातेदार हैं तथा वादगत कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी सं. 1, 2 व 4 के पिता तथा प्रतिवादी सं. 3 के पति बजरंगलाल तथा प्रतिवादी सं0 5 व 6 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर वादीगण के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करें।

....

....बीज .... मुबलिग ....

.........बाबत .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी

सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18 माह 12 सन् 2024 को जारी की गई।

डॉ. दिव्या(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर(चूरू)

मोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:42:16 IST
Reason: SelfAttested

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्[illegible]	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	मह[illegible] व[illegible]	00	00
महनताना वकील	00	00	[illegible]	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	फीस क[illegible]	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	बाबत इ[illegible] हुक्मनामा	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	मुतफर्रि[illegible]	00	00
मुतफ़र्रिक	10	00			
मिजान	13	00	मिजान	01	00

Scanned with OKEN Scanner